18/2/26

पत्रा० पेश हुयी प्रार्थी वकील उप०। मूल वादपत्र अदम पैरवी में O9R5 के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।